वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 13.08.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, भारत कनेक्ट संवाददाता, न्यायाधीश ,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 13.08.2025

शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद होटल-गोदाम का करें संचालन

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मंगलवार को सिकरौल वार्ड के खजुरी में निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। खजुरी में रतन बाबू की ओर से टिनशेड का निर्माण कराया गया था। इसके बाद शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया था। होटल का सेटबैक होने के कारण अशमनीय भाग अधिक आ रहा था। जिसे स्वीकृत नहीं कराया जा सका। निर्देश दिया गया कि शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही होटल का संचालन कराएं। खजुरी में रमेश वर्मा की ओर से 400 और 300 वर्ग मीटर में अस्थायी टिनशेड का निर्माण कर गोदाम बनाया गया है। जिसे नोटिस दिया गया था। खजुरी में रोड वाइडनिंग को कवर कर 40 वर्ग मीटर में भूतल पर स्लैब डालकर प्रथम तल पर पिलर का निर्माण कार्य किया गया। जिस पर नोटिस दिया गया था। वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि वाइडनिंग भाग में आ रहे निर्माण को तत्काल हटाएं। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 13.08.2025

शमन मानचित्र स्वीकृत होने पर संचालित करें होटल

वाराणसी : वीडीए जोन एक के सिकरौल वार्ड में अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग मंगलवार को खुद क्षेत्र में निकल पड़े। वहां अवैध निर्माण देख नाराजगी जाहिर करते हुए जोनल अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया। खजुरी में रतन बाबू चार मंजिला होटल का निर्माण करने के अलावा ऊपर टीन शेड बनाए थे। साथ ही शमन मानचित्र दाखिल किया था। उपाध्यक्ष ने शमन मानचित्र स्वीकृत होने के बाद ही होटल संचालित करने का निर्देश दिया। इसी क्षेत्र में रमेश वर्मा ने 400 वर्ग मीटर में टीन शेड निर्माण किया था। यहां भी शमन मानचित्र स्वीकृत होने के बाद गोदाम संचालन करने को कहा। (जासं)

भारत कनेक्ट संवाददाता–दि0 13.08.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने खजुरी में हुये निर्माण का किया गया स्थल निरीक्षण

● निर्वाण पीठधीश्वर ने दिया आशीर्वाद

भारत कनेक्ट संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा जोन-1 वार्ड-सिकरौल के खजुरी में हुये निर्माण का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण का विवरण निम्नवत है रतन बाबू पुत्र रामबाबू उर्फ रामलाल,आराजी सं0 -832,मौजा-खजुरी के अंतर्गत पूर्व में जी+3 तलों का निर्माण कार्य एवं चतुर्थ तल पर अस्थाई टीनसेड का निर्माण कार्य किया गया था जिसके उपरांत पक्ष द्वारा शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया जिसमें भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अनुसार होटल में सेटबैक-5,3,3 होने के कारण अशमनीय भाग अधिक आ रहा था जिससे स्वीकृत नही कराया जा सका तद्क्रम में उपाध्यक्ष के द्वारा निर्देशित किया गया है कि शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही होटल का संचालन करायें। रमेश वर्मा मौजा-खजुरी के अंतर्गत पक्ष द्वारा भूतल पर लगभग 400.00 वर्गमीटर अस्थाई टिनसेड का निर्माण कर गोदाम का उपयोग किया जा रहा था जिसके विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयीं तद्क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही गोदाम का संचालन कराये। ` रमेश वर्मा मौजा-खजुरी के अंतर्गत पक्ष द्वारा भूतल पर लगभग 300.00 वर्गमीटर अस्थाई टिनसेड का निर्माण कर गोदाम का उपयोग किया जा रहा था जिसके विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम - 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी है। तद्क्रम में उपाध्यक्ष के द्वारा निर्देशित किया गया है कि शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही गोदाम का संचालन करायें।

न्यायाधीश–दि0 13.08.2025

बिना नक्शा पास कराए होटल और गोदाम का निर्माण वविप्रा ने जारी की नोटिस

वाराणसी। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मंगलवार को जोन-1, वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत खजुरी क्षेत्र में विभिन्न निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अवैध या नियमों के विरुद्ध निर्माण कार्यों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रतन बाबू पुत्र रामबाबू उर्फ रामलाल, आराजी संख्या-832, मौजा-खजुरी में जी+3 मंजिला भवन एवं चौथे तल पर अस्थायी टिनशेड का निर्माण किया गया था। पक्षकार ने शमन मानचित्र प्रस्तुत किया, लेकिन भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (संशोधित 2023) के अनुसार होटल निर्माण में आवश्यक 5-3-3 मीटर सेटबैक की शर्त पूरी न होने से इसे स्वीकृत नहीं किया जा सका। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया कि शमन मानचित्र स्वीकृत होने के बाद ही होटल का संचालन किया जाए।